

Court of ACJM, Biraul

Biraul P.S.- 286/18

G.R.- 755/18

25.11.19

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा 447, 341, 323, 354, 504, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त मनीष पासवान एवं सात अन्य, जिनका नाम आरोप-पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, वाद-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मीनष पासवान 2. बिनोद पासवान 3. सनोज पासवान 4. सज्जन पासवान 5. पूनम देवी 6. सोनिया देवी 7. मीना देवी 8. चानो देवी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 447, 341, 323, 354, 504, 34 के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तदनुसार आरोप-पत्रित अभियुक्त मनीष पासवान एवं सात अन्य के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 447, 341, 323, 354, 504, 34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु समन निर्गत करे।

दिनांक 08.04.2020 वास्ते उपस्थिति।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी